रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274121
CG-DL-E-04072026-274121

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948
No. 188] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सेतु मामला आईडी – एडी/ओआई/031/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने हेतु आवेदन

फा. सं. **6/28/2026-डीजीटीआर**.— समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स पीजीपी ग्लास लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "पीजीपी" कहा गया है) ने "मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. वर्तमान आवेदन में **चीन जनवादी गणराज्य** (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

3. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से **"मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स"** के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स**" है (जिसे इसके बाद **"ग्लास वायल्स"** या **"संबद्ध वस्तु"** या **"विचाराधीन उत्पाद"** या **"पीयूसी"** भी कहा गया है)।

5. विचाराधीन उत्पाद कांच का एक पैकेजिंग कंटेनर है जिसका मुख्य रूप से भेषज उद्योग में उपयोग किया जाता है। पीयूसी के अंतर्गत सोडा-लाइम ग्लास से निर्मित फार्मास्युटिकल ग्लास वायल्स आते हैं, जो टाइप-II और टाइप-III विनिर्देशनों के अनुरूप होते हैं। पीयूसी का उपयोग इंजेक्शन वाली दवाओं, टीकों, एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, हार्मोन की तैयारियों, स्टेराइल जल और डाइल्यूएंट्स, डायग्नोस्टिक रीएजेंट्स और प्रयोगशाला विनिर्मितियों के भंडारण के लिए किया जाता है।

6. पीयूसी दो रंगों में उपलब्ध है; फ्लिंट (साफ/रंगहीन) वायल्स और एम्बर (भूरा) वायल्स। इसके अलावा, पीयूसी विभिन्न क्षमताओं/आकारों में उपलब्ध है, तथापि इस जांच के प्रयोजनार्थ, पीयूसी को 5 मिली. से 30 मिली. की क्षमता/आकार रेंज तक ही सीमित रखा गया है।

7. निम्नलिखित वायल्स को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

क. सभी आकारों/क्षमताओं के टाइप-I बोरोसिलिकेट ग्लास वायल्स।

ख. टाइप-II मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स (फ्लिंट और एम्बर दोनों), जिनकी क्षमता/आकार 30 मिली. से अधिक और 5 मिली. से कम है लेकिन 5 मिली. के बराबर नहीं है।

ग. टाइप-III मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स (फ्लिंट और एम्बर दोनों), जिनकी क्षमता/आकार 30 मिली. से अधिक और 5 मिली. से कम है लेकिन 5 मिली. के बराबर नहीं है।

घ. ट्यूबलर ग्लास वायल्स।

<u>उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)</u>

8. आवेदक ने अपने आवेदन में नीचे दिए गए अनुसार उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की है:

क्र.सं.	**मापदंड-1** **वॉयल की क्षमता/आकार।**	**प्रस्तावित पीसीएन**
1	5/7.5/8 मिली.	क
2	10 मिली.	ख
3	15 मिली.	ग
4	20 मिली.	घ
5	30 मिली.	ड़

माप की इकाई

9. विचाराधीन उत्पाद की बिक्री संख्या/नग के आधार पर की जाती है और इसलिए, वर्तमान आवेदन में विचार की गई माप की इकाई "नग" है।

टैरिफ वर्गीकरण

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के टैरिफ शीर्ष 7010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है, जो "कारबॉय, बोतलें, फ्लास्क, जार, बर्तनों, फायल्स, एम्पुल्स और कांच के अन्य कंटेनर, जो माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं; कांच के परिरक्षण जार; कांच के स्टॉपर, ढक्कन और अन्य क्लोजर" के अंतर्गत टैरिफ मद 7010 90 00 में आता है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी अन्य शीर्ष/टैरिफ मदों के अंतर्गत भी किया जा सकता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

11. आवेदक ने बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबंधित वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ, प्रथम दृष्टया आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबंधित देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना गया है।

ग. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

13. आवेदक ने प्रारंभ में 9 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (9 महीने) के लिए जांच की अवधि और क्षति जांच अवधि के रूप में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद, आवेदक ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी जांच की अवधि को संशोधित कर 12 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 करने का निर्णय ले सकते हैं क्योंकि इससे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का अधिक सटीक और व्यापक मूल्यांकन हो सकेगा। इसलिए, आवेदक द्वारा प्रस्तावित संशोधित अवधि को जांच के प्रयोजनार्थ उपयुक्त माना गया है और तदनुसार प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे आगे "पीओआई" कहा गया है) को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 महीने) और क्षति जांच की अवधि को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और पीओआई मानने का निर्णय लिया है।

ङ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

14. नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

> "घरेलू उद्योग'' से तात्पर्य समग्र रूप से उन घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे हुए हैं या जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल

घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित उत्पाद के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं इसके आयातक हों, तो ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

15. वर्तमान जांच का अनुरोध पीजीपी ग्लास लिमिटेड द्वारा किया गया है। आवेदन में आवेदक ने बताया है कि POI के दौरान संबंधित सामान के कुल भारतीय उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 34.65% है। आवेदक ने दावा किया है कि उसने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक तथा भारत में आयातक से संबंधित नहीं है।

16. आवेदक ने दावा किया है कि पीजीपी ग्लास लिमिटेड के अलावा भारत में पीयूसी के तीन अन्य उत्पादक हैं, जिनके नाम हैं—हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("एनएचजीआईएल"), एजीआई ग्लासपैक ("एजीआई") और न्यूट्रल ग्लास एंड एलाइड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ("एनजीएआई" या "गेरेसाइमर")।

17. अन्य भारतीय उत्पादकों में से, एनजीएआई ने वर्तमान जांच में अपना समर्थन व्यक्त किया है। आवेदक और सहयोगी उत्पादक मिलकर, POI के दौरान संबंधित वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 97.36% हिस्सा बनाते हैं।

18. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर एक पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और यह आवेदन एडी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षा को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदन में यह दावा किया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, चीन के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में संबंधित उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। पैरा 7 के अंतर्गत, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबंधित वस्तुओं की कीमतों या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को होने वाली कीमत के आधार पर, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाना आवश्यक है।

20. इस संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। इसलिए, आवेदक ने उचित लाभ मार्जिन के लिए समायोजित विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार चीन के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। जांच शुरूआत करने के प्रयोजनार्थ इसी पर विचार किया गया है।

ख) निर्यात कीमत

21. आवेदक ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार आयातों की मात्रा और कीमत पर विचार करके संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए डीजी सिस्टम के आकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन और अन्य व्ययों के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

23. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों के कारण कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के साक्ष्य मौजूद हैं। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

24. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी को संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया मिलते हैं, जो नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य सिद्ध करते हैं, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

25. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवार वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, इस कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि, जिसे यदि लगाया जाए, तो घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

26. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला आईडी सं.- एडी/ओआई/031/2026 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

28. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि इस जॉंच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जॉंच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढ़ग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा ऐसी अन्य सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

ट. समय-सीमा

32. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी- एडी/ओआई/031/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए।

33. प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से **37 दिनों के भीतर** निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

35. पीयूसी के दायरे/पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की **15 दिनों** की अवधि इस जाँच शुरूआत अधिसूचना के उक्त पैरा 33 में उल्लिखित समय सीमा के साथ समवर्ती रूप से चलेगी।

36. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण समय-सीमा बढ़ाना: यदि प्राधिकारी, किसी आगामी नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जाँच शुरूआत अधिसूचना से भिन्न है, तो समय-सीमा में 15 दिनों का विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां जांच की शुरूआत के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 15 दिनों के विस्तार (यदि स्वीकृत हो) से आगे समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

37. समय बढाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

38. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्ष◌ाकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्ष◌ाकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

39. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

40. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

41. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

42. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष◌ाकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

43. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

44. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

45. गोपनीयता के दावे के संबध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ढ. असहयोग

47. यदि कोई हितबद्ध पक्ष◌ाकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और

उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार ,निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

SETU Case ID – AD/OI/ 031/2026

Subject: Application for initiation of antidumping investigation concerning imports of Moulded Soda-Lime Glass Vials originating in or exported from China PR

F. No. 6/28/2026-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-dumping Rules"), PGP Glass Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or "PGP") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Moulded Soda-Lime Glass Vials".

2. The present Application sought anti-dumping investigation concerning imports of the Moulded Soda-Lime Glass Vials originating in or exported from **China PR (**hereinafter referred to as subject country)

3. The applicant has alleged that dumped imports of the **Moulded Soda-Lime Glass Vials** from the subject country are causing material injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product under consideration in the present application is "**Moulded Soda-Lime Glass Vials** originating in or exported from China PR" (hereinafter also referred to as "**Glass Vials**" or "**subject goods**" or "**product under consideration**" or "**PUC**").

5. The PUC is a glass packaging container that is primarily used in the pharmaceutical industry. The PUC covers pharmaceutical glass vials manufactured from soda-lime glass, conforming to Type-II and Type-III specifications. The PUC is used for storage of injectable medicines, vaccines, antibiotics, biologics and biosimilars, hormone preparations, sterile water and diluents, diagnostic reagents and laboratory preparations.

6. The PUC is available in two colours; flint (clear/colourless) vials and amber (brown) vials. Further, the PUC is available in various capacities/sizes, for the purpose of this investigation, the PUC has been restricted to a capacity/size range of 5ml to 30ml.

7. The following vials have been excluded from the scope of PUC:

   a. Type-I Borosilicate Glass Vials of all sizes/capacities.

   b. Type-II Moulded Soda-Lime Glass Vials (both flint and amber) of capacity/size greater than 30 ml and less than but not equal to 5 ml.

   c. Type-III Moulded Soda-Lime Glass Vials (both flint and amber) of capacity/size greater than 30 ml and less than but not equal to 5 ml.

   d. Tubular Glass Vials.

Product Control Number (PCN)

8. The applicant in the application has proposed Product Control Numbers (PCNs) as below:

S.N.	Parameter-1 Capacity/Size of the Vial	PCN Proposed
1	5/7.5/8 ml	A
2	10 ml	B
3	15 ml	C
4	20 ml	D
5	30 ml	E

Unit of measurement

9. The PUC is sold on the basis of numbers/pieces and therefore, the unit of measurement considered in the present application is "pieces".

Tariff classification

10. The product under consideration is classifiable under Chapter 70 of the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975, "Glass and Glassware" under the tariff heading 7010 "Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass" under the tariff item 7010 90 00. The applicant has also alleged the imports of PUC may be made under any other heading/tariff items. However, the customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

B. LIKE ARTICLE

11. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject country. The article produced by the applicant and that imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

12. The subject country in the present investigation is **China PR.**

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

13. The applicant initially proposed Period of Investigation for 9 months i.e. 1st April 2025 to 31st December 2025 (9 Months) and the injury investigation period as 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the POI. Subsequently, applicant has submitted that the Authority may decide to revise the period of investigation for 12 months i.e. 1st April 2025 to 31st March 2026 as it would enable a more accurate and comprehensive assessment of dumping, injury, and causal link. Hence, the revised period proposed by the applicant has been considered appropriate for the purpose of the investigation and accordingly the Authority has decided to consider the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI") as 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months) and the injury investigation period as 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

14. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

> "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

15. The present investigation has been requested by PGP Glass Limited. The applicant in the application has submitted that it accounts for around 34.65 % of the total Indian production of the subject goods in the POI. The applicant has claimed that it has not imported the PUC from the subject country and is not related to any producer in the subject country and the importer in India.

16. The applicant has claimed that in addition to PGP Glass Ltd. there are three other producers of the PUC in India, namely, Hindustan National Glass & Industries Limited ("HNGIL"), AGI Glaspac ("AGI") and Neutral Glass & Allied Industries Private Limited ("NGAI" or "Gerresheimer").

17. Amongst the other Indian producers, NGAI has expressed support in the present investigation. The applicant, together with the supporting producer, represents around 97.36% of the total Indian production of subject goods during the POI.

18. As per the information available on record, the Authority considers that the Applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the AD Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a) Normal Value for China PR

19. It has been claimed in the application that China PR should be treated as a non-market economy and therefore, the Chinese producers should be called upon to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the production and sale of that product under consideration. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules. Under Para 7, normal value for non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of subject goods in the market economy third county or price from such third country to other countries, including India, or on some other reasonable basis.

20. In this regard, the applicant has submitted that it was not able to get information of cost and price of the product under consideration in the market economy third country. The applicant has, therefore, constructed the normal value for China as per the best available estimates of the cost of production of the product under consideration as adjusted for reasonable profit margin. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation.

b) Export Price

21. The Applicant has determined the export price for the subject country by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the determining export price of subject goods from subject country, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. Adjustments proposed by the applicant on account of ocean freight, marine insurance, commission, and other expenses have been made.

c) Dumping Margin

22. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

23. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in absolute terms. There is evidence of price suppression and depression due to imports. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry.

24. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

25. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

26. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

27. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU Case ID no. No - AD/OI/ 031/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

28. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

29. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

30. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

31. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

32. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID – AD/OI/ 031/2026.

33. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns **within 37 days** from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

34. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

35. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 33 above of this Initiation Notification.

36. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further

extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.

37. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

38. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

39. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

40. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

41. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

42. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

43. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

44. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

45. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

46. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. NON-COOPERATION

47. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.04 19:41:38 +05'30'